

**ग्राम पंचायत हटली विकास खण्ड भटियात तहसील सिहुन्ता जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश के
लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि:-01-04-2014 से 31-03-2017

भाग-एक

1 {क} प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत, हटली विकास खण्ड भटियात जिला चम्बा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति रीता रानी चन्देल	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्रीमति नीलम देवी	23-01-16 से लगातार

सचिव :

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति रजिन्द्रा देवी	2009 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {रुलाखों में }
1.	6.	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना।	0.18
2.	7.	अनुदान राशियों के अवरोधन बारे।	14.08
3.	10	निर्माण कार्यों के प्राकलन व माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत न करना।	विवरणानुसार
4.	11	औपचारिकता को पूर्ण किए बिना खरीद बारे।	8.78
5.	12	निर्माण सामग्री का स्टॉक प्रविष्टि न करने बारे।	10.10

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत हटली विकास खण्ड भटियात , तहसील सिहुन्ता जिला चम्बा के अवधि 01/4/2014 से 31/03/2017 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार खेही , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 21-08-2017 से 25-08 -2017 तक के दौरान पंचायत कार्यालय हटली में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 07 /14,04/15 व 06/16 तथा व्यय की विस्तृत जाच के लिए माह 07/14,05/15 व 03/17 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत हटली विकास खण्ड भटियात जिला चम्बा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:188 दिनांक 25-08-17 द्वारा सचिव, पंचायत हटली से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत हटली द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{1} स्व स्रोत :- ग्राम पंचायत हटली के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्व स्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	153805	531565	685370	529425	155945
2015-16	155945	308853	464798	216639	248159
2016-17	248159	308152	556311	244995	311316

{2} अनुदान :-ग्राम पंचायत हटली के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है ,जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट -1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	302316	1783610	2085926	1656619	429307
2015-16	429307	809894	1239201	1003205	235996
2016-17	235996	2507714	2743710	1335563	1408147

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता सं	राशि
1.	HPSCB HATLI	18510103713	316456
2.	----do-----	18510104670	nill
3.	----do-----	18510105825	838
4.	----do-----	18510106026	1122749
5.	----do-----	18510106752	10628
6.	----do-----	18510107361	195630
7.	----do-----	18510105969	77988
8.	----do-----	18510107360	314
		cash in hand	nill
		TOTAL	1724603

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क) दिनांक 31-3-17 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹1724603

(ख) दिनांक 31-3-17 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (क+ख):-₹1719463

अन्तर **₹ 5140**

अन्तर का कारण :-

निम्नलिखित चैक जारी किए गए परन्तु बैंक द्वारा 31-03-17 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।

क्रम सं	चैक सं	दिनांक	राशि	चैक जिनको जारी किया गया।
1.	714160	29-03-17	800	वार्ड सदस्य
2.	714161	29-03-17	2400	पूर्व वार्ड सदस्य
3.	714162	29-03-17	260	सचिव
4.	714165	29-03-17	1680	चौकीदार
		कुल जोड़	5140	

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करना:-

ग्राम पंचायत हटली की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान नहीं किया गया था 1 सचिव द्वारा उक्त

वित्तीय स्थिति तो तैयार की गई परन्तु रोकड़ वही व पास बुकों का मिलान नहीं किया गया था जो कि अंकेक्षण द्वारा स्वयं तैयार किया गया , जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 7 (3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अपेक्षित था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वही का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः भविष्य में पंचायत की रोकड़ वही का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार कर एक भाग आय के लिए तथा व्यय के लिए दो भागों में तैयार किया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा दूसरा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

6 पंचायत राजस्व ₹0.18 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-17 तक पंचायत के राजस्व ₹0.18 लाख की वसूली शेष थी।

गृहकर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्रति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	8250	8250	16500	0	16500
2015-16	16500	8400	24900	14760	10140
2016-17	10140	13230	23370	5860	17510

7 अनुदान ₹14.08 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना {परिशिष्ट-1} के अनुसार दिनांक 31-03-17 तक अनुदान ₹1408147 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी

योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत हटली को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

8 मजदूरों द्वारा एक ही अवधि को दो अलग-अलग निर्माण कार्यों के मस्ट्रोलों पर हाजिरी लगाने के फलस्वरूप ₹1152 का दोहरा भुगतान :-

अंकेक्षण के दौरान सामान्य निधि के निम्नलिखित निर्माण कार्यों की जाँच में पाया गया कि मस्ट्रोलों में मजदूरों द्वारा एक ही अवधि में अलग-अलग निर्माण कार्यों में हाजिरी लगाई गई है, जो की एक गम्भीर मामला है।

(क)

वा.सं	निर्माण कार्य का नाम	अवधि	माह	रोकड़ पृष्ठ	बही कुल भुगतान
18	नि० कार्य श्मशान घाट चंगरेटा	07-01-15 से 11-01-15 व 13-01-15	02/15	25	24470
19	रास्ता निर्माण नालिया पंचायत घर हटली	07-01-15 से 11-01-15 व 13-01-15	02/15	25	8654

क्रम सं	मजदूर का नाम व पता	अवधि	दिन	दिहाड़ी की दर	कुल दोहरा भुगतान
1.	श्री चैन सिंह सपुत्र श्री गुलाबू सिंह हटली	7.1.15 से 11.1.15 व 13.1.15	6 दिन	192	1152

उपरोक्त विवरण के आधार पर जाँच में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्यों में उक्त मजदूर को दो बार भुगतान करके कुल ₹1152 अधिक भुगतान किया गया है जोकि एक गम्भीर मामला है। अतः ₹1152 को उचित स्रोत उत्तरदायी से वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

9 निर्माण सामग्री की मात्रा न दर्शाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के बिल/वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि परिशिष्ट - 3 के अनुसार रेत, बजरी व बोल्टर की 140 ट्रालीयों की खरीद पंचायत द्वारा की गई है परन्तु रेत, बजरी व बोल्टर की मात्रा बिल में नहीं दर्शाई गई है जिसके आभाव में रेत, बजरी व बोल्टर की सही मात्रा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर मामला है। अतः मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में आवश्यक जाँच हेतु लाया जाता है अतः रेत, बजरी तदनुसार अपेक्षित बोल्टर

की मात्रा के स्थान पर केवल ट्राली दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन व माप पुस्तिका प्रस्तुत न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से चयनित माह के सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा सभी निर्माण कार्यों के प्राक्कलन,प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई ,जिसके आभाव में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः निर्माण कार्यों के प्राक्कलन,प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹8.78 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक /स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-2 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹877759 स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत हटली को अवगत करवाया गया। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 क्रय की गई ₹ 10.10 लाख की निर्माण सामग्री का भण्डार रजिस्ट्रों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा न प्रस्तुत करना:-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थायी प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना अपेक्षित था परन्तु पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-3 पर दिए गए विवरणानुसार ₹1010019 की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है। जो कि एक गम्भीर मामला है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत हटली को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। बिना स्टॉक प्रविष्टि के अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि

नहीं की जा सकी। अतः औचित्य स्पष्ट करते हुए प्राप्ति व उपयोग सम्बन्धी अभिलेख तैयार किया जाए अन्यथा यह राशि उचित स्रोत से वसूल कि जाए।

13 रोकड़ बही को प्रधान द्वारा सत्यापित/अधिप्रमाणित न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम7(1) के अनुसार सचिव द्वारा बी.आर.जी.एफ़० शीर्ष की तैयार रोकड़ बहियों को प्रधान द्वारा सत्यापित/अधिप्रमाणित किया जायेगा परन्तु अंकेक्षण अवधि की उक्त रोकड़ बही को प्रधान द्वारा सत्यापित/अधिप्रमाणित नहीं किया गया था जिसके अभाव में इस अवधि में आय व व्यय की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी अतः औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त रोकड़ बही को सम्बन्धित प्रधान द्वारा सत्यापित/अधिप्रमाणित करवाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

14 विहित रजिस्ट्रों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अपेक्षित था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत को अवगत करवाया गया।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1.	मोबाइल टाबर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
5.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6.	रसीद बुक रजिस्टर
7.	खाताबही
8.	मस्ट्रोल रजिस्टर

15 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 विविध अनियमितताएं :-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

17 लघु-आपति विवरणिका:-लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

18 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता / -

(चन्द्रेश हाण्डा)

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

फोन नं० 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल०ए०) एच (पंच) (15)(7)6 / 2017 खण्ड-1-833-836 दिनांक 02.02.2018
शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि०प्र०
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा हि०प्र०
- पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत हटली, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / -

(चन्द्रेश हाण्डा)

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

फोन नं० 0177-2620881